राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 971/2024

1. नगर निगम, बीकानेर अपने आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, कलेक्टर, बीकानेर के माध्यम से।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. धन्ना राम पुत्र दला राम, जाति सिकलीगर (लुहार), निवासी डॉ. प्रीति कल्ला अस्पताल के पास, गजनेर रोड, बीकानेर (राज.)।

2. खजूराम पुत्र धन्ना राम, जाति सिकलीगर (लुहार), निवासी डॉ. प्रीति कल्ला अस्पताल के पास, गजनेर रोड, बीकानेर (राज.)।

3. रामदेव पुत्र धन्ना राम, जाति सिकलीगर (लुहार), निवासी डॉ. प्रीति कल्ला अस्पताल के पास, गजनेर रोड, बीकानेर (राज.)।

4. चैनसुख पुत्र धन्ना राम, जाति सिकलीगर (लुहार), निवासी डॉ. प्रीति कल्ला अस्पताल के पास, गजनेर रोड, बीकानेर (राज.)।

5. इंदु पुत्री धन्ना राम, जाति सिकलीगर (लुहार), निवासी डॉ. प्रीति कल्ला अस्पताल के पास, गजनेर रोड, बीकानेर (राज.)।

6. स्थायी लोक अदालत, बीकानेर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री श्याम सुंदर लादरेचा
श्री देवेंद्र सिंह पिडियार

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

20/02/2024

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका स्थायी लोक अदालत, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 02.08.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत निजी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) का मुआवजा दिया गया है।

3. संक्षेप में, वर्तमान मामले में उल्लेखित तथ्य यह हैं कि 06.08.2019 को, जब श्रीमती संतोष देवी (प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की मां) बीकानेर में गजनेर रोड पर जा रही थीं, तो उन्हें एक आवारा सांड ने टक्कर मार दी। लगी चोटों के कारण, श्रीमती संतोष देवी को कोठारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर रेफर कर दिया गया। पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर में, श्रीमती संतोष देवी ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया और इस आशय का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम, बीकानेर द्वारा 21.08.2019 को जारी किया गया। इन परिस्थितियों में, निजी प्रतिवादियों ने श्रीमती संतोष देवी की मृत्यु के लिए मुआवजा देने के लिए स्थायी लोक अदालत, बीकानेर के समक्ष कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (इसके बाद '1987 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 22 के तहत एक आवेदन पेश किया। जो बीकानेर के गजनेर रोड पर एक आवारा बैल की चपेट में आने से हुई थी। स्थायी लोक अदालत ने अपने निर्णय और पुरस्कार दिनांक 02.08.2023 के तहत याचिकाकर्ता-नगर निगम, बीकानेर को निजी प्रतिवादी के पक्ष में 3,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। निर्णय और पुरस्कार दिनांक 02.08.2023 से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका नगर निगम, बीकानेर द्वारा दायर की गई है। 4. याचिकाकर्ता-नगर निगम, बीकानेर के विद्वान वकील ने दृढ़ता से कहा कि स्थायी लोक अदालत के पास इस मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं 1987 के अधिनियम की धारा 22-ए (बी) में उल्लिखित 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' की श्रेणी में नहीं आती हैं और इसलिए, विद्वान स्थायी लोक अदालत ने 02.08.2023 को निर्णय और पुरस्कार पारित करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थायी लोक अदालत के समक्ष भी उठाई गई थी, हालांकि, स्थायी लोक अदालत द्वारा इसका उचित तरीके से निपटारा नहीं किया गया और इसलिए, स्थायी लोक अदालत ने 02.08.2023 को निर्णय और पुरस्कार पारित करते समय एक त्रुटि की। 5. याचिकाकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता-नगर निगम सड़कों पर आवारा पशुओं की आवाजाही को रोकने के लिए बाध्य नहीं है, तथापि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि घटना में शामिल गाय और बैल याचिकाकर्ता-नगर निगम, बीकानेर की सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु थे। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि स्थायी लोक अदालत, बीकानेर द्वारा पारित आदेश कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए तथा प्रतिवादियों को कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय का लाभ उठाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

6. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है और दिनांक 02.08.2023 के विवादित निर्णय और पुरस्कार सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

7. विवाद को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, अधिनियम 1987 की धारा 22-ए का खंड (बी) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> धारा 22 ए (बी):-“सार्वजनिक उपयोगिता सेवा” से तात्पर्य किसी भी-
>
> (i) हवाई, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा से है; या
>
> (ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा से; या
>
> (iii) किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति से; या
>
> (iv) सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता की व्यवस्था से; या
>
> (v) अस्पताल या औषधालय में सेवा से; या
>
> (vi) बीमा सेवा से है, और इसमें कोई भी सेवा शामिल है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक हित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है”

8. वर्तमान मामले में, अधिनियम 1987 की धारा 22-ए के खंड (बी) के उप-खंड (iv) अर्थात सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता की व्यवस्था के अनुसार, याचिकाकर्ता-नगर निगम, बीकानेर जनता की अधिकतम संतुष्टि के लिए इसे प्रदान करने के लिए बाध्य है। चूंकि, याचिकाकर्ता उचित सफाई और स्वच्छता प्रदान करने में विफल रहा है, इसलिए आवारा पशु सड़कों पर दिखाई देते हैं क्योंकि वे सड़कों/फुटपाथों पर पड़े खाद्य पदार्थ और कचरा

खाते हैं। चूंकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता आवारा बैल और गायों को सड़क से दूर रखने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बीकानेर में हुई दुर्घटना सहित हर जगह कई दुर्घटनाएँ हुई हैं।

9. वर्तमान मामले में, चूंकि यह तथ्यात्मक रूप से विवादित नहीं है कि यह घटना एक आवारा बैल और गाय द्वारा श्रीमती संतोष देवी को टक्कर मारने के कारण हुई थी, जो उन्हें लगी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गईं, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता-नगर निगम, बीकानेर कानून द्वारा अनिवार्य और उनसे अपेक्षित अपनी सेवाएं और कर्तव्य निभाने में विफल रहा है।

10. विद्वान स्थायी लोक अदालत, बीकानेर ने प्रतिवादियों (यहां याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर उत्तर पर ध्यान दिया है और उसके बाद 16.05.2023 को याचिकाकर्ताओं (यहां निजी प्रतिवादी) द्वारा दिया गया प्रस्ताव प्रतिवादियों (यहां याचिकाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, इसे उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इसे स्थायी लोक अदालत ने अपने आदेश पत्र दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से ध्यान में रखा था। 1987 के अधिनियम की धारा 22-सी स्थायी लोक अदालत के मामलों के संज्ञान के बारे में बताती है। संक्षिप्तता के लिए, धारा 22-सी की उप-धारा 5, 6, 7, और 8 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “(5) स्थायी लोक अदालत उप-धारा (4) के अधीन सुलह कार्यवाही के संचालन के दौरान, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के पक्षकारों के प्रयास में सहायता करेगी।
>
> (6) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद के समाधान में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करे और उसके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश का पालन करे।
>
> (7) जब उपर्युक्त सुलह कार्यवाही में स्थायी लोक अदालत की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही में समझौते के तत्व मौजूद हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित समाधान की शर्तें तैयार कर सकती है और संबंधित पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए दे सकती है और यदि पक्षकार विवाद के समाधान पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो वे समझौता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके

अनुसार एक पुरस्कार पारित करेगी और संबंधित पक्षों में से प्रत्येक को उसकी एक प्रति प्रदान करेगी।

(8) जहां पक्षकार उपधारा (7) के अधीन किसी समझौते पर पहुंचने में असफल होते हैं, वहां स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो विवाद का निर्णय करेगी।"

11. धारा 22 सी की उपधारा 5 से 8 का मात्र अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुलह कार्यवाही के दौरान स्थायी लोक अदालत ऐसी कार्यवाही में समझौते पर पहुंचने का प्रयास करेगी और यदि समझौता नहीं हो पाता है, तो उपधारा 8 का सहारा लिया जाएगा और मामले का निर्णय स्थायी लोक अदालत द्वारा किया जाएगा (यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है)।

12. स्थायी लोक अदालत ने मामले के सफल समझौते के लिए सभी कदम उठाए हैं और चूंकि समझौता नहीं हो सका, इसलिए 1987 के अधिनियम की धारा 22-सी के उप-खंड (8) का सहारा लिया गया है। इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि याचिकाकर्ता सड़कों से कचरा और खाद्य सामग्री हटाने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, स्थायी लोक अदालत के पास अधिनियम 1987 की धारा 22 ए (बी) (iv) के मद्देनजर मामले से निपटने का अधिकार था और उसने निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सही ढंग से फैसला सुनाया है।

13. मामले के इस दृष्टिकोण से, स्थायी लोक अदालत ने अधिनियम 1987 की धारा 22-सी के तात्पर्य को सही ढंग से ध्यान में रखा है और मामले का सही ढंग से फैसला किया है।

14. यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता-नगर निगम का मूल कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया जा रहा है, जिससे यह तथ्य सामने आ रहा है कि आवारा पशु शहरों के हर नुक्कड़ और कोने में देखे जाते हैं अब समय आ गया है कि स्थायी लोक अदालत की तरह ऐसे मामलों में घायलों और मौतों का सामना करने वाले व्यक्तियों को मुआवजा दिलाकर एक रास्ता अपनाया जाए। ऐसे मामलों में मुआवजा देने के लिए नगर निगम पर दायित्व तय करने की कठोर कार्रवाई भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगी और अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करने के लिए मजबूर करेगी।

15. इसी तरह की परिस्थितियों में, जयपुर में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने भी स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 से उत्पन्न रिट याचिका संख्या 25944/2018 (ग्राम पंचायत इंद्रपुरा बनाम कजोड़मल और अन्य) को खारिज कर दिया था।

16. इस मामले के मद्देनजर, मैं स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, जिसमें 02.08.2023 के अपने निर्णय और पुरस्कार के तहत 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। याचिकाकर्ता स्थायी लोक अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे को उन व्यक्तियों/अधिकारियों से वसूल सकता है, जो लापरवाह थे और सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता के संरक्षण और रखरखाव के लिए कानून में अनिवार्य अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।

17. इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(विनित कुमार माथुर**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।